रिक्शा चालक सहकारी समिति लिमिटेड
की
उपविधियां

नाम तथा पता.........................

१--यह समिति..................सहकारी रिक्शा चालक समिति लिमिटेड कहलायेगी और इसका रजिस्टर्ड पता--...............................डाकखाना..............तहसील............................जिला...........होगा।

२--इसका निबंधित कार्यालय...........होगा। इस पते में कोई तब्दीली १४ दिन के अन्दर निबन्धक महोदय को सूचित की जावेगी।

कार्य-क्षेत्र

३--इसका कारोबारी क्षेत्र........तक सीमित होगा।

परिभाषाएं

४--विषय या प्रसंगों में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इन उपविधियों में:--

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथासंबंधित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ (अधिनियम संख्या ११,१९६६) से है।

(ख) "नियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, १९६८ से है।

(ग) "प्रबन्ध कमेटी" या कमेटी का तात्पर्य समिति की एक ऐसी कमेटी से है जिसे धारा २९ के अधीन समिति के कार्यों का प्रबन्ध सौंपा गया हो।

(घ) "निबन्धक" का तात्पर्य क्षेत्र के उप-निबन्धक / सहायक निबन्धक प्रभारी से भी होगा परन्तु यदि अधिनियम, नियमों या राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (२) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति में निबन्धक के कोई अधिकार इस समिति के संबंध में किसी अन्य अधिकारी को

(स) सम्बद्ध सदस्य:—ऐसा कोई व्यक्ति चाहे नाबालिग हो परन्तु समिति के कार्यक्षेत्र में रहता हो, जिसका मस्तिष्क स्वस्थ हो, अच्छे चरित्र का हो, मौसमी या अस्थायी कार्यकर्ता हो या जो समिति के कार्य में अभ्यार्थी (अप्रेंटिस) हो या जो अन्यथा समिति के कार्य में रुचि रखता हो समिति का सम्बद्ध सदस्य हो सकता है। वह प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता का पात्र न होगा उसे समिति से मजदूरी तथा बोनस के अतिरिक्त लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार न होगा।

. . . .

समिति के टूटने पर वह देय धन की अदायगी के अतिरिक्त समिति की पूंजी में अंशदान का देनदार न होगा। उसे वोट देने का अधिकार न होगा।

(द) वे व्यक्ति मूल सदस्य होंगे जो समिति के निबन्धन प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। तत्पश्चात् सदस्यता के योग्य प्रार्थियों में से सदस्य प्रबन्ध कमेटी द्वारा नियमानुसार भर्ती किये जायेंगे।

७—(१) समिति का सदस्य बनाये जाने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति, इस आशय के ोषणा-पत्र (प्रपत्र-अ) पर हस्ताक्षर करेगा कि वह समिति की वर्तमाय उपविधि ों तथा उन उपविधियों में किसी ऐसे संशोधन को मानने के लिये बाध्य होगा जो उसकी सदस्यता की अवधि में विधिवत किये जायं।

(२) हर एक व्यक्ति से जो समिति की रजिस्ट्री के लिये दिये जाने वाले ार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर करने के फलस्वरूप पहले से ही सदस्य हो, यह अपेक्षा की जायेगी कि वह समिति की रजिस्ट्री होने के एक मास के भीतर उप-विधि ७ (१) के अन्तर्गत घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करें। यदि वह ऐसा न करे तो वह समिति की सदस्यता से निकाल दिये जाने का भागी होगा।

(३) मूल सदस्यों के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्तिगत साधारण सदस्य को सदस्य बनने के पूर्व एक रुपये प्रवेश शुल्क देना पड़ेगा जो कि किसी भी दशा में वापस न होगा।

(४) कोई सदस्य जिसकी भर्ती की स्वीकृति कमेटी द्वारा हो चुकी हो वह सदस्यता के अधिकारों का प्रयोग करने का तब तक अधिकारी न होगा जब तक कि वह घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर न कर दे, प्रवेश शुल्क न दे दे, कम से कम हिस्से की एक किस्त अदा न कर दे। जब किसी व्यक्ति को समिति द्वारा सदस्य बनाना अस्वीकृत कर दिया गया हो, ो उसे अस्वीकृति की तिथि के सात दिन के अन्दर अस्वीकृत की सूचना संबंधित व्यक्ति को कारण सहित दी जाय ी।

८—(अ) प्रत्येक सदस्य लिखित घोषणा द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट कर सकता है जिसे उसकी (सदस्य की) मृत्यु हो जाने पर उसका अंश

या हित यदि कोई हो, अदा या हस्तान्तरित किया जा सके। नया घोषणा-पत्र भर कर समिति को देने पर, नाम निर्दिष्ट व्यक्ति बदला जा सकेगा। यदि नाम निर्दिष्ट व्यक्ति की मृत्यु हो जाय तो नाम निर्देशन करने वाला सदस्य इस बात की सूचना समिति को देगा और नये व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट करेगा। प्रत्येक नाम निर्देशन दो साक्षियों द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

यदि कोई भी नाम निर्देशन न किया गया हो अथवा नाम निर्देशन करने वाले सदस्य की मृत्यु के पूर्व ही निर्दिष्ट व्यक्ति की मृत्यु हो जाय, और कोई नाम निर्देशन न किया गया हो, तो सदस्य के अंश या हित की धनराशि ऐसे व्यक्ति को दी या हस्तान्तरित की जायेगी जो कमेटी के सदस्य का उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि प्रतीत हो। यदि किसी नाम निर्दिष्ट व्यक्ति की मृत्यु नाम निर्देशन करने वाले सदस्य की मृत्यु के पश्चात्, किन्तु वास्तविक भुगतान दिये जाने के पूर्व हो जाय, तो नाम निर्दिष्ट व्यक्ति की देय धनराशि ऐसे व्यक्ति को अदा की जायेगी जो कमेटी को नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि प्रतीत हो, अवयस्क को देय समस्त धनराशियों का भुगतान उसे उसके अभिभावक के माध्यम से किया जायेगा।

(ब) (१) यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने समिति के किसी मृत सदस्य के अंश या हित को संयुक्त रूप में पाया हो तो ऐसे व्यक्तियों को समिति का साधारण सदस्य बनाया जा सकता है।

(२) अंश और अंशों के संबंध में मतदान के अधिकार के लिये ऐसे व्यक्ति घोषणा (प्रपत्र 'ब') द्वारा अपने में से किसी एक को धारा २० के अधीन मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिये नाम निर्दिष्ट करेंगे। जिस पर समिति अंश प्रमाणक (शेयर के सार्टिफिकेट) में ऐसे व्यक्ति का नाम संयुक्त अंशधन राशियों में मुख्य नाम के रूप में लिखेगी।

(स) अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों के अधीन, समिति का कोई सदस्य, यदि वह समिति का ऋणी न हो या समिति द्वारा दिये गये किसी ऋण का जामिन न हो, समिति को एक माह का नोटिस देकर सदस्यता से त्याग-पत्र दे सकता है। नोटिस की अवधि की गणना समिति द्वारा नोटिस प्राप्त होने के दिनांक से की जायेगी, किन्तु सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण वह उन दायित्वों से मुक्त न हो सकेगा जिनके भुगतान करने के लिये वह इन उप-विधियों, नियम व अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत जिम्मेदार हो।

९—(अ) कोई भी सदस्य निम्नलिखित कारणों से प्रबन्ध कमेटी की बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से सदस्यता से:—

(क) हटाया जा सकता है, यदि वह—

(१) स्थाई रूप से पागल या अपंग हो जाय जिससे वह रिक्शा न चला सके।

(२) समिति के कार्यक्षेत्र में रहना बन्द कर दे।

(३) किसी ऐसे सामान्य आचरण का दोषी हो जिसके फलस्वरूप उसे समिति के हित में हटाना आवश्यक हो।

(४) वह उन अर्हताओं (योग्यताओं) को पूर्ति न करता हो जो समिति की सदस्यता के लिये अधिनियम, नियमों या उपविधियों में निर्धारित किये गये हैं।

(ख) निकाला जा सकता है:--

(१) यदि उसने समिति की निधि या संपत्ति का दुरुपयोग (मिस-ऐप्रोप्रियेशन) किया हो अथवा समिति की संपत्ति को क्षति पहुंचाई हो, और ऐसे अपराध के लिये भारतीय दंड विधान, १८६० के अधीन दंडित किया गया हो, जब तक कि वह नियम ५६ (ख) (१) के प्रतिबन्ध के अनुसार इस अनर्हता से मुक्त न हो गया हो।

(२) यदि उसने समिति की उपविधियों का उल्लंघन करके समिति के हित को हानि पहुंचाई हो ; या प्रदत्त रियायत को किसी दूसरे को स्वयं किराये पर दिया हो, बेंच दिया हो या गिरवीं रख दिया हो ।

(३) यदि समिति की उपविधियों के किसी भी प्राविधान के अन्तर्गत दी गई घोषणा गलत हो या किसी सारवान सूचना को दबाकर अनुचित लाभ उठाया हो या समिति को हानि पहुंचाई हो ।

(४) समिति को अपने द्वारा देय अंशधन या ऋण के भुगतान में निरन्तर चूक करता हो ।

(ब) यदि किसी सदस्य को अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों के अधीन सदस्यता से हटाना अथवा निकालना हो तो प्रबन्ध कमेटी उस सदस्य से कहेगी कि नोटिस प्राप्त होने के दिनांक से दस दिन के भीतर वह यह कारण बताये कि क्यों न उसे समिति की सदस्यता से, यथा स्थिति हटा या निकाल दिया जाय । यदि नोटिस का जवाब निर्दिष्ट समय के भीतर न दिया जाये अथवा प्राप्त जवाब प्रबन्ध कमेटी की राय में असंतोषजनक हो, तो उक्त सदस्य प्रबन्ध कमेटी द्वारा नोटिस की अवधि के समाप्त के दिनांक से पंद्रह दिन के भीतर हुई बैठक में पारित संकल्प द्वारा यथास्थिति हटा दिया जायेगा या निकाल दिया जायेगा ।

इस प्रकार निकाले गये सदस्य को प्रबन्ध कमेटी के ऐसे निर्णय के विरुद्ध, निर्णय के दिनांक से ३० दिन के भीतर निबन्धक के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा । निबन्धक का आदेश संबंधित पक्षों पर बन्धनकारी होगा ।

१०--निकाला गया कोई सदस्य उस तिथि से जब निकाले जाने का संकल्प प्रभावी हो दो वर्ष की अवधि तक समिति का फिर से सदस्य बनने का पात्र न होगा और वह फिर से सदस्य बनने.................. के दिनांक से तीन वर्ष के अवधि के लिये समिति के अधीन कोई पद धारण करने अथवा प्रबन्ध कमेटी में निर्वाचन के लिये खड़े होने का भी पात्र न होगा । निकाले गये सदस्य द्वारा देय समस्त अदत्त धनराशियों, नियत किस्तों के विपरीत यदि कोई हो, उससे एक ही बार वसूल की जा सकती है ।

११—सदस्यता समाप्त हो जावेगी:—

(१) मृत्यु होने पर,

(२) कमेटी द्वारा त्यागपत्र स्वीकृत होने पर,

(३) उप-विधि संख्या ९ के अन्तर्गत निकाले या हटाये जाने पर,

(४) समस्त हिस्से वापस अथवा समस्त हिस्से जब्त हो जाने पर ।

१२—किसी सदस्य को, जिसने समिति से त्याग-पत्र दिया हो या जिसे समिति से हटाया अथवा निकाला गया हो या जो मर गया हो और जिसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति समिति का सदस्य न बनाया गया हो उस समय तक उसके अंश की धनराशि निकालने की अनुज्ञा न दी जायेगी जब तक कि मुख्य ऋणी या जामिन के रूप में उसके द्वारा देय समस्त धनराशि का भुगतान न कर दिया गया हो और उक्त अधिनियम की धारा २४ या २५ में जैसी भी दशा हो, नियत अवधि व्यतीत न हो गयी हो । किसी एक वर्ष में कुल निकाली व वापस की गयी अंश पूंजी समिति की कुल दत्त अंश पूंजी जैसी कि वह पिछली ३० जून को थी, कि १० प्रतिशत से अधिक न होगी । वापस न किये गये अंशों की धनराशि पर ब्याज ऐसी दर से जो पिछली बार घोषित लाभांश की दर से अधिक न होगा ऐसे दिनांक तक किया जायेगा जिसे समिति भुगतान करने के लिये निश्चित करें ।

दायित्व

१३—समिति के परिसमापन पर उसके ऋणों के लिये सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गये अंश/अंशों की नामी कीमत मूल्य तक सीमित होगा ।

विधियां

१४—समिति की विधियां निम्नलिखित में से एक या समस्त साधनों द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं :—

(क) अंश (हिस्से),

(ख) ऋण तथा निक्षेप (अमानतें),

(ग) दान,

(घ) विशेष अभिदान (चन्दा),

(ङ) प्रवेश शुल्क,

(ज) रक्षित कोष तथा अन्य विधियां,

(छ) लाभ।

अंशधन

१५—(१) समिति की अंशपूंजी अनिश्चित संख्या के अंशों से बनेगी प्रत्येक साधारण सदस्य द्वारा खरीदे जाने वाले हिस्से का मूल्य १०० रु० होगा।

(२) प्रत्येक नाम मात्र व संबद्ध सदस्य समिति द्वारा निर्धारित फार्म पर प्रार्थना-पत्र देगा, व.......रु० अभिदान देगा जो किसी दशा में भी वापस न होगा। ऐसे सदस्य समिति में कोई हिस्सा नहीं खरीद सकेंगे।

१६—प्रत्येक व्यक्तिगत सदस्य की भर्ती के समय १० रु० हिस्से की प्रथम किस्त देनी होगी। अवशेष धन कमेटी द्वारा निर्धारित आसान किस्तों में रिक्शे के किराये के साथ देय होगा।

१७—प्रत्येक साधारण सदस्य कम से कम एक अंश लेगा और दो साक्षियों के समक्ष सदस्य रजिस्टर में अपना हस्ताक्षर करेगा या अंगूठा की छाप लगायेगा अथवा अपने हस्ताक्षर सहित ऐसा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा जिस पर दो व्यक्तियों का साक्ष्य हो।

१८—कोई भी सदस्य अंशपूंजी के ऐसे भाग से अधिक अंश न लेगा जो जारी की गयी अंश पूंजी के १/५ या ५,००० रु० के मूल्य के अंशों में जो भी कम हो, से अधिक हो।

१९—सामान्य सभा की अनुमति के बिना किसी किस्त को स्थगित करने की अनुज्ञा कमेटी के किसी भी सदस्य को न दी जावेगी।

कमेटी का कोई ऐसा सदस्य जिसने ऋण या अंश की दो किस्तों का भुगतान न किया हो, कमेटी का सदस्य बने रहने का पात्र न होगा।

२०—सदस्यों द्वारा अंशों का हस्तांतरण अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों क अनुसार किया जावेगा।

प्रबन्ध

२१—सामान्य निकाय:—समिति का अंतिम अधिकार उसके सदस्यों के सामान्य निकाय की सामान्य बैठक में निहित होगा। अधिनियम, नियमों तथा

इन उपविधियों के अधीन रहते हुए, सामान्य निकाय के निम्नलिखित सदस्य होंगे।

(१) साधारण सदस्य,

(अ) समस्त व्यक्तिगत सदस्य यदि उनकी संख्या २५० से अधिक न हो, अन्यथा प्रत्येक १० सदस्यों या उनके किसी अंश पर एक प्रतिनिधि जैसा कि कमेटी द्वारा निर्धारित किया गया हो और ऐसी स्थिति में निर्वाचन क्षेत्र कमेटी द्वारा जिला सहायक निबन्धक की पूर्व अनुमति से बनाये जायेंगे।

(ब) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत और सदस्य समितियां तथा निगमित निकाय के प्रतिनिधि।

२२—सामान्य बैठक में गणपूर्ति संख्या सामान्य निकाय के सदस्यों की संख्या के एक तिहाई या तीस, जो भी कम है या होगी। अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों के अधीन गणपूर्ति संख्या पूरी न होने के कारण स्थगित बैठक में गणपूर्ति की संख्या घटकर १/५ या २० जो भी कम हो, होगी।

२३—कम से कम वर्ष में दो साधारण बैठक होगी पहली वर्ष की प्रथम छमाही में और दूसरी वर्ष की द्वितीय छमाही में।

२४—समिति प्रत्येक सहकारी वर्ष में अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों के अनुसार एक वार्षिक सामान्य बैठक करेगी। जिसमें निम्नलिखित कार्य संपादित किये जायेंगे:—

(१) अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों और उपविधियों के अनसार कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन होगा जिनके अन्तर्गत सभापति तथा उप सभापति भी है।

(२) वार्षिक लेखा विवरण, गत वर्ष का रोकड़पत्र, तथा लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना।

(३) अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों के अनुसार और निबन्धक द्वारा जारी की गयी किसी सामान्य आज्ञा, जो समिति पर लागू होती हो, के अनुसार लाभांश का निस्तारण।

(४) वर्ष में समिति द्वारा उपगत किये जाने वाले अधिकतम दायित्व को अधिनियम तथा नियमों के अनुसार निश्चित करना।

(५) समिति के वार्षिक बजट तथा सामान्य नीति एवं कार्यक्रम पर विचार करने के पश्चात् स्वीकृति देना।

(६) कमेटी द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया कोई अन्य कार्य।

(७) कोई अन्य कार्य, सभापति की आज्ञा से।

२५––जब तक अधिनियम तथा नियमों में अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो वार्षिक बैठक के लिये कम से कम १५ दिन पूर्व नोटिस देना आवश्यक होगा।

२६––प्रबन्ध कमेटी समिति के सामान्य निकाय की सामान्य बैठक बुलायेगी––

(१) समिति द्वारा स्वयं अथवा सभापति के कहने पर,

(२) निबन्धक महोदय की मांग पर,

(३) समिति के कुल सदस्यों के १/५ की लिखित प्रार्थना पर।

२७––साधारण सामान्य बैठक में निम्नलिखित कार्य संपादित किये जावेंगे।

(१) समिति के उद्देश्यों के अन्तर्गत समिति के कार्य-कलापों के विस्तार के संबंध में विचार करना,

(२) एक ऐसी धन सीमा निर्धारित करना जो किसी सामान की खरीद के लिये प्रयोग की जा सके, इसमें रिक्शा गाड़ी खरीद के व्यय तथा भवन निर्माण-कार्य के व्यय सम्मिलित होंगे,

(३) रिक्शों के प्रदेशन (Allotment) प्रदेशन रद्द किये जाने तथा पुनः प्रदेशन के संबंध में नियम बनाना,

(४) लाभ, बेरोजगारी तथा दुर्घटना निधियों को सृजन करना तथा इनके लिये अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों के अधीन रहते हुए विनियम बनाना,

(५) प्रबन्ध कमेटी द्वारा संचालित अनिवार्य-जमा-धनराशि-योजना का अनुमोदन करना और उसमें परिवर्तन करना, यदि कोई हो,

(६) कोई ऐसा अन्य कार्य जो प्रबन्ध कमेटी के अधिकार क्षेत्र में हो।

२८––प्रत्येक व्यक्तिगत सदस्य के पास चाहे कितने ही अंश क्यों न हों, उसको केवल एक मत (One vote) देने का अधिकार होगा। प्रतिनिधियों द्वारा कोई मतदान नहीं होगा।

२९––(अ) अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों और इन उप-विधियों के निर्देशनों के अधीन रहते हुए, सामान्य बैठक के समक्ष लाये गये समस्त प्रश्न बहुमत से निर्णीत किये जावेंगे। मतों को समान होने की दशा में सभापति को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(ब) यदि बैठक के निश्चित समय के आधे घंटे के अन्दर गणपूर्ति पूरी नहीं होती तो बैठक स्थगित की जा सकती है। परन्तु यदि बैठक सदस्यों अथवा प्रतिनिधियों की प्रार्थना पर बुलायी गयी हो और यदि बैठक के लिये निश्चित समय से एक घंटे के भीतर गणपूर्ति न हो तो ऐसी बैठक भंग की जा सकती है।

(स) समिति की सामान्य निकाय अथवा प्रबन्ध कमेटी की बैठक, समिति के मुख्यावास पर हुआ करेगी।

(द) यदि कार्य सूची के समस्त कार्य निश्चित तिथि की बैठक में पूर्ण नहीं हो सके तो बैठक किसी अन्य तिथि के लिये, जो उपस्थित सदस्यों द्वारा बैठक में निर्धारित की जाय, हो सकेगी और कार्य-सूची के अवशेष कार्य दूसरी बैठक की तिथि को सम्पादित किये जावेंगे।

३०––ऐसे समस्त विषय जिनके सम्बन्ध में सामान्य बैठक में चर्चा की गयी हो या निर्णय लिया गया हो कार्यवाही पुस्तक में अभिलिखित किये जायेंगे और उस अभिलिखित कार्यवाही पर बैठक का सभापति तथा सचिव हस्ताक्षर करेंगे।

प्रबन्ध कमेटी

३१––समिति का प्रबन्ध उसकी प्रबन्ध कमेटी में निहित होगा जो समिति के समुचित कार्य संचालन के लिये उत्तरदायी होगी।

३२––प्रबन्ध कमेटी में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:––

(१) सामान्य निकाय द्वारा प्रबन्ध कमेटी के लिये निर्वाचित दस सदस्य,

(२) अधिनियम की धारा ३४ तथा नियमों के प्राविधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट दो व्यक्ति,

(३) निबन्धक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति,

(४) वित्तपोषक बैंक द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति,

(५) निगमित निकायों के प्रतिनिधियों में से एक सदस्य यदि वह निकाय समिति के साधारण सदस्य हो।

३३––(अ) प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल ३ सहकारी वर्ष का होगा जिसके अन्तर्गत उनके निर्वाचन का सहकारी वर्ष भी शामिल रहेगा परन्तु निर्वाचित सदस्य तब तक पद ग्रहण किये रहेंगे जब तक उनके उत्तराधिकारी निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट न हो जायं। निवृत्ति होने वाले सदस्य पुनः चुनाव लड़ने के पात्र होंगे। कोई भी सदस्य प्रबन्ध कमेटी में निर्वाचित या आमेलित किये जाने के लिये पात्र न होगा यदि वह नियमों के प्राविधानों के अधीन अनर्ह हो।

(ब) सभापति तथा उपसभापति का कार्यकाल प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल के बराबर होगा परन्तु वे अपने पद को तब तक ग्रहण किये रहेंगे जब तक उनके उत्तराधिकारी निर्वाचित न हो जायें।

(स) प्रबन्ध कमेटी के नाम निर्दिष्ट सदस्य की अवधि नाम निर्देशन प्राधिकारी की इच्छानुसार रहेगा।

३४––यदि कमेटी के सदस्यों में कोई आकस्मिक रिक्ति होती है तो उसकी पूर्ति शेष अवधि के लिये शेष सदस्यों द्वारा सामान्य निकाय के सदस्यों में से संबंधित श्रेणी के सदस्यों में जिस श्रेणी के सदस्यों का स्थान रिक्त हुआ हो, की जायगी यदि वह प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के निर्वाचन के लिये पात्र हो।

३५––कोई भी सदस्य प्रबन्ध कमेटी का सदस्य होने या बने रहने का पात्र न होगा, यदि––

(१) वह २१ वर्ष से कम आयु का हो।

(२) वह दिवालिया घोषित किया गया हो।

(३) वह विकृत-चित्त का हो अथवा बहरा और गूंगा, अन्धा या कोढ़ी हो।

(४) उसे निबन्धक की राय में, नैतिक पतन संबंधित अपराध के लिए दंड दिया गया हो और ऐसा दंड अपील में रद्द न किया गया हो।

(५) उसे समिति में लाभ का पद प्राप्त हो।

(६) वह कम से कम छः माह से समिति के लिये ऋण का बकायादार हो।

(७) वह समिति के सामान्य निकाय का सदस्य न हो।

(८) उसका कोई संबंधी समिति का वेतन भोगी कर्मचारी हो।

(९) वह अधिनियम व नियमों के अधीन किसी अपराध के लिये दोषी सिद्ध किया गया हो, जब तक कि दोष सिद्ध के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गई हो।

(१०) वह पदत्याग करे, जिसके लिये एक मास का नोटिस देना आवश्यक होगा।

(११) वह अधिनियम तथा नियम के किसी उपबन्ध के अधीन अन्यथा अनर्ह हो।

(१२) उपरोक्त वर्णित अनुहरताओं के अतिरिक्त नियम ४५३ (१) के खंड ङ, च, ज, ड, ढ़ तथा उपनियम (२) की अनर्हतायें अर्जित कर लें।

(१३) यदि उसके विरुद्ध समिति ने किसी बकाया के संबध में या अन्य प्रकार से कोई एवार्ड लिया हो, और उस एवार्ड का समाधान न हो गया हो।

(१४) यदि उसका कोई निकट सम्बन्धी समिति में किसी लाभ के पद पर आसीन हो।

३६––कमेटी की बैठक उतनी बार होगी जितनी बार समिति के कार्य के लिये उनकी आवश्यकता हो और हर दशा में बैठक एक मास से अनधिक की अन्तरावधि पर हुआ करेगी। साधारणतया बैठक के दिनांक से पूर्व प्रत्येक सदस्य को सात दिन का नोटिस दिया जायेगा। आपातिक दशाओं में सभापति इससे कम अवधि का नोटिस देकर भी बुला सकता है।

३७––(अ) प्रबन्ध कमेटी के लिये गणपूर्ति की संख्या, कमेटी के कुल सदस्यों की संख्या का १/२ होगी, परन्तु निर्वाचित सदस्यों में से कम से कम १/३ की उपस्थिति अनिवार्य होगी। स्थगित बैठक के लिये गणपूर्ति की संख्या कमेटी के कुल सदस्यों की संख्या का १/३ होगी जिसमें से प्रबन्ध कमेटी के, निर्वाचित सदस्यों में से १/४ अवश्य होंगे।

(ब) सभापति की अनुपस्थिति में उप-सभापति बैठक की अध्यक्षता करेगा तथा दोनों की अनपस्थिति में सभापति के रूप में निर्वाचित कोई अन्य सदस्य अध्यक्षता करेगा।

३८––प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार होगा। मतों की संख्या बराबर होने की दशा में सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

३९––कमेटी की बैठक में जिन विषयों पर चर्चा हुयी हो या जिन पर निर्णय किये गये हों उन्हें कार्यवाही पुस्तक में अभिलिखित किया जायगा। बैठक के सभापति तथा सचिव इस पर हस्ताक्षर करेंगे।

प्रबन्ध कमेटी के अधिकार तथा कर्तव्य

४०––कमेटी के निम्नलिखित अधिकार तथा कर्तव्य होंगे :—

(१) सचिव की रिपोर्ट पर सदस्य बनाना और उन्हें अंश प्रदिष्ट कराना। तथा सदस्यों को अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों के अनुसार हटाना या निकालना।

(२) सदस्यों तथा समिति के अधिकारियों के त्याग-पत्र स्वीकार करना।

(३) अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन और इस समिति की उपविधियों के अनुसार अंशों के हस्तान्तरण तथा उनकी वापसी की स्वीकृति देना।

(४) इन उपविधियों के अनुसार की जाने वाली अपेक्षित बैठकों का प्रबन्ध करना और वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष ऐसे अन्य विवरण

के साथ जिनकी निबन्धक अपेक्षा करे, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित आय-व्यय का चिट्ठा और लाभों का निस्तारण प्रस्तुत करना।

(५) समिति के आय-व्यय का लेखा परीक्षित वार्षिक चिट्ठा प्रकाशित करना।

(६) समिति की निधियां तथा अन्य बहुमूल्य प्रतिभूतियों को प्राप्त करने, उन्हें बांटने और सुरक्षित अभिरक्षण का प्रबन्ध करना।

(७) निबन्धक द्वारा अनुमोदित किसी बैंक में खाता खोलना।

(८) उन सीमाओं को निर्धारित करना जिन सीमाओं तक सभापति तथा सचिव आकस्मिक व्यय कर सकते हैं और तत्पश्चात् ऐसे व्यय को अनुमोदित करना।

(९) समिति की ओर से, उस धनराशि तक ऋण या पूंजी लेना जो उस वर्ष के लिये वार्षिक सामान्य बैठक द्वारा निश्चित और निबन्धक द्वारा अनुमोदित हो पर अधिकतम दायित्व से अधिक न हो।

(१०) ऋणों, जमा धनराशियों तथा उधार ली हुई अन्य धनराशियों पर ब्याज की दर निश्चित करना।

(११) अधिनियम की धारा १२० के उपबन्धों तथा धारा १२१ व १२२ के प्राविधानों के अधीन बनाये गये विनियमों के अधीन रहते हुए, समिति के किन्हीं या समस्त वैतनिक या अवैतनिक अधिकारियों या कर्मचारियों को नियुक्त करना, उन्हें पदच्युत करना, हटाना, निलम्बित करना या अन्य दण्ड देना और उनमें से किसी एक या सभी से प्रतिभूति देने की अपेक्षा करना, किन्तु सचिव की दशा में उसकी नियुक्ति, सेवा की शर्तें, निलम्बन तथा पदच्युत के लिये निबन्धक का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(१२) समिति के किन्हीं सदस्यों, अधिकारियों या कर्मचारियों अथवा विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से समिति के कार्यों के संबंध में समितियां कमेटी या कर्मचारी द्वारा या उसके विरुद्ध कार्यवाहियों का संस्थापन, संचालन, प्रतिवाद, समझौता करना मध्यस्थ निर्णय के लिये अभिदिष्ट या परित्याग करना।

(१३) यह देखना कि समिति का शासन इन उपविधियों तथा सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुसार संचालित किया जाता है।

(१४) लेखे का निरीक्षण तथा जांच करना।

(१५) यह सुनिश्चित करने के लिये कि समिति का प्रशासन इन उपविधियों के अनुसार संचालित होता है। लेखों की जांच पड़ताल तथा परीक्षण और समिति के कार्य संचालन के लिये समुचित प्रबन्ध करना।

(१६) जांच तथा लेखा परीक्षण की टिप्पणियों पर विचार करना और उनका पालन करना तथा उस पर समिति की अगली सामान्य बैठक में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

(१७) कार्य के संबंध में विनियम बनाना किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उसके लिये सामान्य बैठक का अनुमोदन प्राप्त हो।

(१८) कोआपरेटिव बैंक या अन्य सहकारी संस्था में समिति की ओर से अंश क्रय करना।

(१९) समिति की ओर से रिक्शा खरीदना, बेंचना या अन्य प्रकार से प्राप्त करना, रिक्शा, आटोरिक्शा, रिक्शे के पुरजे उपसाधक अथवा अन्य चल सम्पत्ति समिति के कारोबार के लिये प्राप्त करना।

(२०) मरम्मत तथा नये सिरे से सुधार के लिये दुकानों की स्थापना करना।

(२१) साधारण बैठक में निर्धारित किसी नीति के अनुसार समिति के रिक्शा चालकों, जनता की दुर्घटना तथा समिति की अन्य सम्पत्तियों का बीमा कराना।

(२२) समस्त सामान के क्रय तथा विक्रय की शर्तें निर्धारित करना, और स्टाक की सामग्री के सुरक्षित रख-रखाव का प्रबन्ध करना।

(२३) साधारणतया इस उद्देश्य के विनियम बनाना जिसके द्वारा किराया रिक्शा तथा हिस्से का धन सदस्यों से आसान किस्तों में वसूल किया जा सके।

(२४) सामान्य निकाय द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार सदस्यों को रिक्शा प्रदिष्ट करना, प्रदेशन रद्द करना अथवा पुनः प्रदेशन करना।

(२५) सब सदस्यों से नियमानुकूल, नकदी, सम्पत्ति, विश्वस्ततावन्ध पत्र (Fidelity Bond) अथवा प्रत्याभूति रिक्शों की सुरक्षा के लिये जमानत के रूप में लेना।

(२६) सदस्यों से किराया वसूल करने के लिये रिक्शा तथा आटोरिक्शा के किराये की दर निर्धारित करना तथा उसकी वसूली के विनियम बनाना।

(२७) रिक्शा और आटो रिक्शा के चलाने के लिये सरकार तथा स्थानीय निकायों से लाइसेंस लेना तथा उनका नवीनीकरण कराना।

(२८) रिक्शों की मरम्मत तथा नवीनीकरण का प्रबन्ध करना।

(२९) साधारण सभा की स्वीकृति से अनिवार्य बचत योजना के लिये विनियम बनाना तथा उन्हें लागू करना।

(३०) सदस्य की अतिशय आवश्यकता पड़ने पर अनिवार्य बचत धनराशि में से एक निश्चित धनराशि निकालने की स्वीकृति देना।

(३१) सामान्य निकाय द्वारा बनाये हुये विनियमों के प्राविधानों के अनुसार लाभ तथा बेरोजगारी निधियों और दुर्घटना तथा निवृत्तिक-वेतन निधियों से सहायता की अनुज्ञा देना।

(३२) सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों पर अर्थ दण्ड, शास्ति या हानि पूर्ति आरोपित करना तथा उनकी वसूली का प्रबन्ध करना।

(३३) ऐसी अधिकतम धनराशि नियत करना जिसे सचिव अभिरक्षा में रखा सके।

(३४) सचिव के साथ संयुक्त रूप से यदि आवश्यक हो कमेटी के किसी सदस्य को किन्हीं कागजों व दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत करना।

(३५) समिति के कार्य की विभिन्न शाखाओं की देखरेख करने के लिये उप-कमेटियों की नियुक्ति करना और उन्हें अपने सभापति तथा सचिव को ऐसे अधिकार सौंपना जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

(३६) बजट तैयार करना और उसे वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष रखना।

(३७) गाड़ियों के चलाने के लिये सदस्यों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना।

(३८) सदस्यों की कार्य-दक्षता तथा कार्य क्षमता में सुधार के लिये उचित उपाय करना और ऐसे काम तथा अन्य धन्धे करना जो समिति के उद्देश्यों से संगत हों और समिति के प्रशासन तथा हित में सम्बद्ध हो।

(३९) समिति के जिस सहकारी संस्था (बैंक आदि) से सम्बद्ध हो, के लिये सामान्य निकाय से एक प्रतिनिधि मनोनीत करना।

(४०) लेखा परीक्षण प्रतिवेदन का संक्षिप्त विवरण समिति के सचिव की सहायता से वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तुत करने के हेतु तैयार करना।

(४१) किसी कर्मचारी अथवा कर्मचारियों की समिति के कागजात रखने के लिये अधिकृत करना।

(४२) समिति के किसी सदस्य के प्रार्थना करने पर समिति की पुस्तकों के अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां देने के लिये किसी व्यक्ति को अधिकृत करना।

४१——समिति के कार्य संचालन में कमेटी के सदस्य साधारण व्यवसायी की तरह विचारशील तथा उद्यमी होकर कार्य करेंगे और अधिनियम, नियम तथा इन उपविधियों के प्राविधानों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेंगे।

सभापति तथा उप-सभापति

४२——(अ) (१)——सभापति समिति के मामलों तथा कार्य के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा पथ-प्रदर्शन के लिये उत्तरदायी होगा और ऐसे अधिकारों

का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो अधिनियम, नियमों, उपविधियों तथा प्रबन्ध कमेटी के सकल्पों द्वारा प्रदत्त या आरोपित किये गये हो। उपस्थित रहने पर वह सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध कमेटी की अध्यक्षता करेगा।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसके निम्नलिखित अधिकार होंगे ——

(१) सभापति किसी बैठक को स्थगित कर सकता है जब कि——

(क) बैठक में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाय कि बैठक की कार्यवाही करना उस कारण से असम्भव हो जाय या शान्ति भंग का भय उत्पन्न हो जाय।

(ख) बैठक में आधे से अधिक उपस्थित सदस्य कहें अथवा मत दें कि बैठक को स्थगित कर दिया जाये।

(२) ऐसे कार्य और कर्तव्यों का अनुपालन करना जिनको सामान्य निकाय या प्रबन्ध कमेटी द्वारा आयोजित किया गया हो।

(३) प्रबन्ध कमेटी की स्वीकृति से अपने किन्हीं अधिकार और कर्तव्यों को उप-सभापति तथा अथवा सचिव को लिखित रूप में सौंपना।

(४) सामान्य निकाय की सामान्य बैठक की स्वीकृति से आवश्यकता पड़ने पर प्रबन्ध कमेटी के किन्हीं अधिकारों कर्तव्यों का अनुपालन करना परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे कार्यों को एक मास के भीतर सामान्य निकाय के समय अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।

(ब) उप-सभापति, नियमों में अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुय, सभापति की अनुपस्थिति में सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध कमेटी की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और ऐसे अधिकार का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे प्रबन्ध कमेटी की स्वीकृति से, सभापति द्वारा लिखित रूप में प्रतिनिहित किये जायें।

(स) यदि सभापति या उप सभापति का स्थान अकस्मात रूप से रिक्त हो जाय तो उसको नियम ४३७ की प्रक्रिया के अनुसार प्रबन्ध कमेटी द्वारा भरा जायगा।

सचिव

४३——प्रबन्ध कमेटी एक सचिव की नियुक्ति करेगी जिसकी नियुक्ति अधिनियम की धारा १२० के उपबन्धों तथा धारा १२१ और १२२ के अधीन बनाये गये विनियमों तथा नियमों के प्राविधानों के अधीन निबन्धक की स्वीकृति से होगी उसे निर्धारित प्रतिभति भी देनी होगी।

४४--सचिव के अधिकार और कर्तव्य निम्नलिखित होंगे:--

(१) कार्य-क्षेत्र और कार्यालय का पर्यवेक्षण करना।

(२) समय-समय पर समिति के कारोबार के विषय में निबन्धक महोदय को वांछित सूचनायें प्रस्तुत करना।

(३) लेखा और लेखा-पुस्तिकाओं के ठीक-ठीक तारीखवार रखना जैसा कि निबन्धक द्वारा निर्धारित किया गया हो।

(४) समिति की ओर से हस्ताक्षर कराना और पत्र व्यवहार करना।

(५) प्रबन्ध कमेटी और सामान्य निकाय की बैठकों का बुलाना और उनमें सम्मिलित होना।

(६) उक्त बैठकों की कार्यवाहियों को अभिलिखित करना और उन पर यथाविधि हस्ताक्षर करना।

(७) वार्षिक विवरण तैयार करना और उन्हें निबन्धक को उनके द्वारा नियत अवधि के भीतर प्रस्तुत करना।

(८) समिति के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना।

(९) समिति की पुस्तकों में की गयी प्रविष्टियों की प्रतियां तैयार करना।

(१०) कमेटी द्वारा नियत सीमा के भीतर आकस्मिक व्यय करना और बाद में उसे अनुमोदित कराना।

(११) समिति की समस्त चल व अचल सम्पत्ति को अधिकार में लेना और उसकी सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होना।

(१२) यदि समिति का धन रखने के लिये तथा सभापति और कमेटी को प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत व्यय करने के लिये कोई कोषाध्यक्ष नहीं है तो वह कैशबुक पर हस्ताक्षर करके उसका सत्यापन करेगा और आज्ञा पाने पर अधिकृत अधिकारी को तहबील दिखलायेगा। यदि कोषाध्यक्ष की नियुक्ति हो जाय तो वह कोषाध्यक्ष के पास तहबील का सत्यापन करके कैशबुक पर हस्ताक्षर करेगा।

(१३) समस्त अतिरिक्त धन, कमेटी द्वारा नियत सीमा के भीतर किसी बैंक अथवा डाकघर के बचत खाते में जो समिति तथ निबन्धक द्वारा स्वीकृत हो जमा करना।

(१४) समिति की ओर से निष्पादित चेकों और दस्तावे . पर सभापति के साथ सम्मिलित रूप से हस्ताक्षर करना।

(१५) साधारणतया समिति के समस्त कार्यों को देखना जो उसे कमेटी द्वारा आरोपित किये गये हों।

कमेटी ऐसे अन्य लिपिक तथा पर्यवेक्षण कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती है जो सचिव को उसके कर्तव्यों का पालन करने में सहायता देने के लिये आवश्यक है।

अनिवार्य बचत

४५--प्रत्येक सदस्य जिसे एक साइकिल रिक्शा प्रदत्त किया गया है वह एक निश्चित धनराशि अनिवार्य बचत खाते में जमा करने के लिये बाध्य होगा वह निश्चित धनराशि कमेटी के द्वारा निर्धारित तथा सामान्य निकाय द्वारा अनुमोदित की जायेगी। उस समय तक खाते में कोई धन नहीं जमा किया जायगा जब तक कि सदस्य द्वारा समस्त क्रय क्रम अंशों की समस्त किस्तों का धन न वसूल हो गया हो।

४६--अनिवार्य बचत खाते की धनराशि की वसूली रिक्शा किराये के साथ अन्तर देकर किस्तों में वसूल की जायेगी।

४७--कोई सदस्य अनिवार्य बचत खाते से धन निकालने का पात्र न होगा किन्तु--

(क) नितान्त आवश्यकता की दशाओं में एक निर्धारित धनराशि के निकालने की अनुमति कमेटी द्वारा दी जा सकती है।

(ख) अधिनियम, नियमों तथा इन उप-विधियों के प्राविधानों के अधीन किसी सदस्य को सदस्यता समाप्त किये जाने, उसकी मृत्यु हो जाने या अन्य दशाओं में धनराशि के निकालने की अनुमति होगी।

४८--अनिवार्य बचत की धनराशि पर प्रत्येक ३० जून को सामान्य निकाय द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज का परिगण न किया जायेगा और हिसाब में जमाकर दिया जायगा, प्रतिबन्ध यह है कि स्वीकृत ब्याज की दर देय ब्याज दर से कम हो। ब्याज का परिगणन न्यूनतम धनराशि पर महीनेवार किया जायेगा।

सदस्यों को रिक्शों का प्रदाय

४९--सामान्य निकाय, रिक्शों के प्रदाय, प्रदाय का रद्द करना तथा पुनः प्रदाय करने एवं हायर परचेज के विनियम बनायेगी जिनका पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।

५०--रिक्शे सार्वजनिक वाहन के रूप में केवल उन्हीं सदस्यों को कमेटी ारा प्रदाय किये जायेंगे जो रिक्शा चलाने का आवश्यक लाइसेंस रखते हों।

५१--सदस्य जिसे रिक्शा प्रदाय किया गया या हायर परचेज कर दिया गया है वह ऐसी प्रतिभूति के देने के लिये बाध्य होगा जिसे सामान्य निकाय या कमेटी द्वारा निर्धारित किया गया हो। यह प्रतिभूति उनके हिस्से या अनिवार्य निक्षेप के रूप में जमा किये गये धन के अतिरिक्त होगी।

५२--साधारणतया प्रत्येक रिक्शा दो सदस्यों को २४ घंटे के लिये दिया जायेगा तथा उनमें से प्रत्येक सदस्य उसे १२ घण्टे रखने का पात्र होगा। दोनों सदस्य व्यक्तिगत तथा संयुक्त रूप से रिक्शों की रक्षा एवं ठीक तौर से रखरखाव के उत्तरदायी होंगे।

५३--रिक्शा चलाने का किराया स्थानीय रिक्शों की किराये की दर पर जो व्यक्तिगत रिक्शा मालिकों से कम होगी, कमेटी द्वारा निर्धारित किया जायेगा परन्तु किराया रिक्शा अंशधन तथा अनिवार्य बचत खाते की किस्तें, कुल मिलाकर अन्य रिक्शों के मालिकानों द्वारा ली जाने वाली दर के बराबर होगी।

५४--(१) कोई भी सदस्य जिसे रिक्शा प्रदत्त किया गया है किसी दूसरे व्यक्ति को किराये पर चलाने के लिये नहीं देगा। यदि उसने दूसरे व्यक्ति को रिक्शा किराये पर चलाने को दिया है तो कमेटी उस पर जुर्माना कर सकती है तथा २५०-रुपया तक जुर्माना वसूल भी कर सकती है। वह इसी कारण समिति की सदस्यता से निकाला जा सकता है।

(२) जिन सदस्यों को रिक्शा हायर परचेज पर दिया गया है उनके द्वारा प्राप्त रिक्शे के किराये का उपविधि ४६ के अन्तर्गत बने विनियम द्वारा निर्धारित अंश रिक्शे की कीमत व मरम्मत के प्रति समिति द्वारा ले लिया जायगा और शेष अंश ऐसा सदस्य मजदूरी के रूप में लेगा।

(३) जो सदस्य अस्थाई रूप से शहर में रिक्शा चलाता हो और फसल के अवसर पर गांव चला जाय तो वह गांव जाते समय रिक्शा समिति को सौंप जायेगा और समिति उसको अन्य सदस्य को किराये पर उठाकर किराये का निश्चित अंश रिक्शा की कीमत व मरम्मत के प्रति ले लेगी तथा शेष अंश नये चालक को मजदूरी के रूप में दे देगी। जब वह सदस्य गांव से वापस आयगा तो समिति उसको रिक्शा पूर्वतः चलाने के लिये दे देगी।

रिक्शों की मरम्मत तथा उनके लाइसेंसों का नवीनीकरण

५५--सदस्य, जिसे रिक्शा प्रदत्त किया गया है वह रिक्शे को सुचारु रूप से रखने के लिये बाध्य होगा। यदि उसमें कोई हानि होती है तो उसे वह मरम्मत कराकर ठीक कराने के लिये बाध्य होगा।

५६--यदि समिति के पास कोई मरम्मत की दुकान है तो सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वह उन रिक्शे की मरम्मत तथा नवीनीकरण उक्त दुकान पर करायेगा। वह साधारण मरम्मत निजी दुकानों पर करा सकता है।

५७--यदि सदस्य को रिक्शे के पुर्जे की, रिक्शे में पुर्जे बदलने हेतु, आवश्यकता है और समिति इन पुर्जों की बिक्री की दुकान चलाती है तो सदस्य को इस दुकान से नकद मूल्य पर पुर्जे लेना होगा।

५८--रिक्शे को सार्वजनिक वहन के रूप में चलाने के लिये लाइसेंसों की प्राप्ति तथा उनका नवीनीकरण कराना और रिक्शा की वार्षिक मरम्मत का उत्तरदायित्व समिति पर होगा।

लेखा पुस्तकें तथा रजिस्टर

५९--समिति निम्नलिखित लेखा पुस्तकें तथा रजिस्टर यथावधिक रखेगी:--

(१) समिति की सामान्य निकाय, प्रबन्ध कमेटी तथा किन्हीं अन्य समितियों या उप-समितियों की बैठकों की कार्यवाहियां अभिलिखित करने के लिये कार्य-वृत्त पंजी।

(२) सदस्यों का रजिस्टर

(३) कैशबुक।

(४) स्टाक रजिस्टर।

(५) धन जमा तथा निकालने वाले प्रत्येक सदस्य के लिये खाता।

(६) अंश प्रदाय तथा मांग रजिस्टर।

(७) प्रत्येक सदस्य एवं धन जमा करने वाले की पास बुक।

(८) ऐसी अन्य पुस्तकें जो कमेटी द्वारा आवश्यक समझा जावें तथा जो निबन्धक के सामान्य या विशेष, आदेश पर नियत की जाये।

(९) अन्य लेखा-पुस्तकें तथा रजिस्टर जो समिति के कारोबार के लिये आवश्यक हो, और वह नियमों के प्राविधानों के अधीन हो।

लाभ तथा बेरोजगारी निधि

६०--समिति लाभ तथा बेरोजगारी निधि का सृजन और अनुरक्षण करेगी तथा तदर्थ विनियम बनायेगी।

निधि निम्नलिखित होगी:--

(क) शुद्ध लाभों से प्राप्तियां,

(ख) उप-विधि ४० (३२) के अधीन आरोपित शास्तियां तथा अर्थ दण्ड, (Penalties and fines)

(ग) दान तथा अंशदान।

६१—यदि कोई सदस्य बीमारी तथा दुर्घटनावश १५ महीनों से अधिक की अवधि के लिये मजदूरी कमाने के योग्य न हो तो कमेटी उसके लिये १५-१५ रुपया प्रति मास से अनधिक की दर से निर्वाह भत्ता अधिक से अधिक छः मास के लिये स्वीकृत कर सकती है जो उसके असमर्थता के सोलहवें दिन से आरम्भ होगी परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उसके अनिवार्य बचत के खाते में—'रुपया न रह गया हो'।

लाभ का विवरण

६२—(समिति अपने शुद्ध लाभ में से ऐसी धनराशि जो शुद्ध लाभ के २५ प्रतिशत से कम न हो रक्षित निधि में, तथा कम से कम प्रतिशत सहकारी शिक्षा निधि में संक्रमित करेगी।

६३—(अ) उप विधि ६२ के अनुसार शुद्ध लाभ का निर्धारण (Allocation) करने के पश्चात् समिति के शेष शुद्ध लाभ में से निम्नलिखित मदों को बांटने योग लाभ निकाला जायेगा :—

(१) सभी ब्याज जो अतिदेय हो।

(२) सभी अर्जित ब्याज किन्तु जो ऐसे सदस्यों से जिनसे ब्याज अतिदेय हो देय न हो।

(३) ऐसी उधार बिक्री पर जिसको वसूली अतिदेय हो अर्जित कमीशन या लाभ सीमा।

(ब) बांटने योग्य लाभ निबन्धक की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित प्रयोजन लिये के उपयोग में लाया जा सकता है:—

(१) नियमों के उपबन्धों के अधीन दत्त अंश पूंजी पर नौ प्रतिशत वार्षिक से अनधिक दर से लाभांश का भुगतान,

(२) ७ प्रतिशत से अनधिक दर से लाभ तथा बेरोजगारी निधि में,

(३) समिति के सदस्यों एवं उनके आश्रितों हेतु लोकोपयोगी कार्यक्रमों के लिये सामान्य हित निधि में। इस निधि से व्यय जिला सहायक निबन्धक की पूर्व स्वीकृति पर ही हो सकेगा,

(४) बोनस अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार कर्मचारियों को अधिलाभांश जो साधारण दशा में एक मास के वेतन से अधिक न होगा,

(५) समिति की किसी अन्य निधि में योगदान देना—जैसे कि भवन-निधि लाभांश, सम नवीकरण निधि, अशोध्य ऋण निधि, अवमूल्यन निधि, राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, इत्यादि,

(६) नियमों के प्राविधानों के अधीन अंशदायी भविष्य निधि में,

(७) रक्षित निधि बढ़ाने के लिये कोई लाभ, जो किसी वर्ष में पूर्वोक्त रीति से विनियोजित न हो सके, अगले वर्ष के लाभों में ले जाया जायेगा।

६४—समिति की निधियां, निबन्धक के अनुमोदन से, अधिनियम तथा नियमों में वर्णित किसी भी एक या अधिक प्रकार से विनियोजित की जा सकती है।

६५—रक्षित निधि, अविभाज्य होगी और कोई भी सदस्य उसके किसी निर्दिष्ट अंश का दावा न कर सकेगा।

६६—समिति के विघटन पर समिति की रक्षित तथा अन्य निधियों का निस्तारण अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

लेखा परीक्षा

६७—समिति के लेखों का परीक्षण निबन्धक, अथवा राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये यथाविधि अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया जायेगा। कमेटी इसके अतिरिक्त भी लेखों का परीक्षण अपने द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से करा सकती है।

विवाद

६८—इन उप-विधियों तथा समिति के कार्य से सम्बद्ध सभी विवादों का जो सदस्यों के बीच या कमेटी तथा किसी सदस्य के बीच में पड़े, का निर्णय मध्यस्थ द्वारा, अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

६९—इन उपविधियों में कोई भी परिवर्तन या परिवर्धन इस प्रयोजन के लिये बुलायी गयी विशेष सामान्य बैठक में उपस्थित सदस्यों के २/३ (दो तिहाई) सदस्यों के मतों द्वारा पारित संकल्प से किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक द्वारा पहले से अनुमोदित प्रतिमान उपविधियों या संशोधन अथवा ऐसे संशोधन जिन्हें करने के लिये निबन्धक अपेक्षा करे केवल साधारण बहुमत द्वारा अंगीकृत किये जा सकते हैं। ऐसी बैठक की गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की एक-तिहाई संख्या अपेक्षित होगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि अपेक्षित गणपूर्ति बैठक में नहीं हो पाती तो निबन्धक समिति की दूसरी बैठक बुलाने के लिये कहेगा, जिसके लिये अपेक्षित गणपूर्ति कम करके १/५ (एक बटा पांच) कर दी जायेगी। यदि

बैठक गणपूर्ति के अभाव में न हो सके तो निबन्धक अगली बैठक बुलाने के लिये गणपूर्ति कम करके १/७ (एक बटा सात) का निर्देश दे सकता है। गणपूर्ति कम करने की यह सूचना ऐसी बैठक करने की सूची कार्यसूची में दी जायेगी।

सामान्य

७०—निबन्धक अथवा कोई व्यक्ति जो निबन्धक के विशेष अथवा सामान्य आदेशानुसार प्राधिकृत किया गया हो, सामान्य निकाय या प्रबन्ध कमेटी की बैठक में भाग ले सकता है तथा सामान्य निकाय अथवा प्रबन्ध कमेटी की बैठक बुलाकर कार्य-सूची पर विचार-विमर्श कर सकता है।

७१—अधिनियम, नियम और उपविधियों की व्याख्या में सन्देह उत्पन्न होने की दशा में कमेटी ऐसी व्यवस्था निबन्धक की राय के लिये भेजेगी और जिनका निर्णय दोनों पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य होगा।

७२—समिति का कोई सदस्य कार्यालय के समय में किसी समय समिति के सचिव को प्रार्थना-पत्र देकर और समिति को दो रुपये शुल्क देकर या तो सदस्य स्वयं या किसी एजेन्ट (अभिकर्ता) द्वारा जो समिति का सदस्य होगा और तदर्थ लिखित रूप से यथाविधि प्राधिकृत होगा। समिति के लेखों तथा अभिलेखों का केवल उतना निरीक्षण कर सकता है जहां तक उनका सम्बन्ध समिति के साथ प्रार्थी सदस्य के व्यवहार का हो।

७३—अपराध और दण्ड अधिनियम की धारा १०३ तथा नियमों के प्राविधानों के अधीन होंगे।

७४—प्रबन्ध कमेटी में किसी स्थान के रिक्त रहने या होने या इनके किसी सदस्य में कोई दोष होने पर भी प्रबन्ध कमेटी के कार्य केवल इसी कारण अवैध न ठहराये जायेंगे।

७५—उस दशा में जब कि समिति के कार्य को सुचारु रूप से संचालित करने के लिये यह आवश्यक प्रतीत हो कि समिति के लिये एक मोटर-गाड़ी खरीदना आवश्यक है तो ऐसी दशा में प्रबन्ध कमेटी, सामान्य निकाय द्वारा निर्धारित मोटर गाड़ी की किस्म तथा उसके अनुमानित मूल्य के अधीन रहते हुये, मोटर गाड़ी खरीदने का प्रस्ताव पारित कर, निबन्धक की पूर्व अनुमति से मोटर गाड़ी खरीद सकती है, अन्यथा नहीं।

७६—समिति के किसी सदस्य, प्रतिनिधि या अधिकारियों की, समिति को या समिति की ओर से किसी अन्य सहकारी समिति की बैठक में भाग लेना अथवा समिति के निर्देश पर यात्रा करने की दशा में, प्राप्त यात्रा भत्ता जिसमें दैनिक भत्ता भी शामिल है, की दरें वही होंगी जो सामान्य निकाय द्वारा, नियम के प्राविधानों तथा निबन्धक की पूर्व अनुमति से निर्धारित की जायें।

७७—इन उपविधियों के निर्वाचन सम्बन्धित कोई विवाद उठने की दशा में ऐसे विवाद को निर्वाचन हेतु समिति के सचिव द्वारा निबन्धक को प्रेषित किया जायगा, जिनका निर्णय दोनों पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य होगा।

७८—इन उपविधियों के पंजीकरण के पश्चात् नब्बे दिन की अवधि या निबन्धक द्वारा लिखित रूप से बढ़ाई गई अवधि के भीतर प्रबन्ध कमेटी का नये रूप से गठन, अधिनियम, नियमों तथा इन उपविधियों के प्राविधानों के अधीन रहते हुये विभिन्न श्रेणियों के प्रतिनिधियों की संख्या को ध्यान में रखते हुये चुनाव द्वारा किया जायेगा तदुपरान्त पूर्व प्रबन्ध कमेटी के समस्त सदस्यों का कार्यकाल समाप्त समझा जायगा।

७९—प्रबन्ध कमेटी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा तैयार की हुई समिति की बहियों की प्रविष्टियों की प्रतिलिपियां यथाविधि प्रमाणित समझी जायेंगी यदि उन पर उसके हस्ताक्षर तथा सभापति, उप-सभापति या सचिव द्वारा ठीक प्रमाणित कर दी जाये। अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों के अधीन समिति ऐसी प्रमाणित प्रतियों के जारी करने के लिये पचास पैसे प्रति पृष्ठ या कम से कम दो रुपया शुल्क वसूल करेगी।

अंशदायी भविष्य निधि

८०—उपविधियों के किसी भी प्राविधान के, अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों के असंगत होने की दशा में, तत्समय प्रचलित अधिनियम तथा नियमों के प्राविधान प्रभावी होंगे।

८१—समिति में यदि किसी भी समय पांच या पांच से अधिक कर्मचारी पूर्ण कालिक मौलिक नियुक्त में हों तो धारा ६३ की उपधारा (१) में अभिदिष्ट-अंशदायी भविष्य-निधि की स्थापना समिति को करनी होगी।

८२—समिति की अंशदायी भविष्य-निधि में जमा किये जाने वाले अंशदान निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:—

(१) किसी कर्मचारी के मासिक अंशदान की दर उसके मासिक वेतन के ५ प्रतिशत से न तो कम और न १५ प्रतिशत से अधिक होगी।

(२) प्रत्येक सहकारी वर्ष के अन्त में समिति के अंशदान की दर वही होगी जो समिति की प्रबन्ध कमेटी द्वारा अवधारित की जाये, परन्तु निबन्धक की अनुमति के बिना वह कर्मचारी के वेतन के सवा छः प्रतिशत (६ १/४ प्रतिशत) से अधिक नहीं हो सकती और किसी भी दशा में कर्मचारी के अंशदान से अधिक नहीं हो सकता है।

८३—अंशदायी भविष्य-निधि के विनियोजन पर प्रोद्भूत ब्याज अलग-अलग समस्त कर्मचारियों के लेने में, पिछले सहकारी वर्ष की समाप्ति पर उनके नाम में शेष धनराशि के अनुपात में जमा किया जायगा।

८४—अंशदायी भविष्य-निधि अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों के अनुसार विनियोजित की जायेगी।

निर्वाचन

८५—(क) समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन कार्यसूची के अन्तिम मद के रूप में समिति की वार्षिक सामान्य बैठक में या ऐसी बैठक जैसा धारा २९ में व्यवस्थित है, होगा।

(ख) यदि नियम ८४ के उपबन्धों के फलस्वरूप समिति की सामान्य निकाय का गठन प्रतिनिधियों द्वारा होना हो तो प्रबन्ध कमेटी अपने सदस्यों में से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधियों का चुनाव कराने के लिये एक संयोजक की नियुक्ति करेगी। संयोजक अपने निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों को चुनाव के कम से कम तीन दिन पहले एक लिखित सूचना द्वारा चुनाव की तिथि, स्थान तथा समय बतावेगा। बैठक में उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को बैठक का सभापतित्व करने के लिये चुनेगा। चुनाव हाथ उठाकर होगा। चुनाव की कार्यवाही पर संयोजक तथा बैठक के सभापति के हस्ताक्षर होंगे। यह चुनाव प्रत्येक वार्षिक सामान्य बैठक की नोटिस जारी करने के बीस दिन पूर्व सम्पन्न करा लिये जायेंगे। इस बैठक की कार्यवृत्ति पंजिका चुनाव के होने के बाद तुरन्त समिति के सचिव के पास जमा कर दी जायेगी।

८६—जिस वर्ष वार्षिक सामान्य बैठक में निर्वाचन किये जाने हों, उस वर्ष किसी व्यक्ति को सदस्य बनाने में नियम ४१० के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

८७—गणपूर्ति न होने या अन्य कारणों से स्थगित वार्षिक सामान्य बैठक मूल बैठक की नोटिस को कार्य सूची में दिये गये समय तथा स्थान पर सोलहवें दिन (जिसकी गणना में स्थान के दिनांक को सम्मिलित करके की जायेगी) को होगी और कार्य सूची की केवल उन्हीं मदों को किया जायगा जो मूल बैठक में रह गये हों।

८८—यथास्थिति तैयार की गई मतदाता सूची और वैध नाम निर्देशन-पत्रों की अन्तिम सूची स्थगित बैठक में निर्वाचन के लिये भी लागू होगी।

८९—समिति का सचिव समिति की नामावली के ऐसे सदस्यों की एक सूची तैयार करेगा जो नियमों तथा समिति की उपविधियों के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक में मतदान के लिये अर्ह (योग्य) हो। ऐसी सूची वार्षिक सामान्य बैठक की नोटिस जारी करने के दिनांक को अथवा उसके पूर्व तक अध्यावधिक (up-to-

date) की जायगी। सूची में अलग से (अन्त में) उन सदस्यों के नाम होंगे जो मतदान करने के लिये अर्ह न हों और उनके साथ ऐसी अनर्हता के कारण भी होंगे तथा ऐसी विधि के (उपविधि सहित) संगत उपबन्धों का उल्लेख भी होगा, जिनके अन्तर्गत ऐसी अनर्हता हो गई हो। सूची पर सचिव तथा इस कार्य के लिये प्रबन्ध कमेटी द्वारा अधिकृत प्रबन्ध कमेटी के इस सदस्य द्वारा भी हस्ताक्षर किये जायेंगे।

९०—सूची में अनर्ह दिखाया गया सदस्य वार्षिक सामान्य बैठक के लिये निश्चित दिनांक के कम से कम तीन दिन पूर्व अपनी अनर्हता दूर करने की कार्यवाही कर सकता है और यदि निर्वाचन के दिनांक के कम से कम ३ दिन पूर्व अनर्हता दूर कर दी जाय तो सम्बद्ध सदस्य को मतदान करने का अधिकार होगा।

९१—सदस्यों की सूची किसी भी सदस्य द्वारा निशुल्क निरीक्षण करने के लिये समिति के कार्यालय में कार्य के समय में उपलब्ध रहेगी। यह सदस्यों को बेंचे जाने के लिये भी उपलब्ध रहेगी। यदि समिति की प्रबन्ध कमेटी ने ऐसा संकल्प किया हो।

बैठक का दिनांक और सदस्यों को नोटिस

९२—समिति की वार्षिक बैठक का दिनांक, समय और स्थान उसकी प्रबन्ध कमेटी द्वारा निश्चित किया जायगा। नोटिस उपनियमावली के अनुसार जारी की जायगी। बैठक का स्थान या तो समिति का कार्यालय अथवा समिति के मुख्यालय के निकट कोई सार्वजनिक स्थान होगा जो प्रबन्ध कमेटी द्वारा तय किया जायगा। समिति की वार्षिक सामान्य बैठक ३० नवम्बर के पूर्व किसी दिनांक या बढ़ाये गये दिनांक, यदि कोई हो, के भीतर जिसकी अनुमति निबन्धक या उनके तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी जाय, होगी।

वार्षिक सामान्य बैठक में निर्वाचित किये जायेंगे

९३—(१) प्रबन्ध कमेटी के लिये सदस्य,

(२) पूर्ववर्ती उपखंड (१) में निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों में से सभापति तथा उप सभापति।

९४—(क) निर्वाचन के लिये उम्मीदवारों के नाम निर्देशन का प्रस्ताव उसका अनुमोदन बैठक में ही किया जायगा। नामों की वापसी के यदि कोई हो, पश्चात् निर्वाचन हाथ उठा कर होगा।

(ख) उपविधि (क) में किसी बात के होते हुये भी, यदि निबन्धक की समिति के सामान्य निकाय या समिति की प्रबन्ध कमेटी के अनुरोध पर अथवा अन्यथा, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, यह राय हो कि निर्वाचन गुप्त मतपत्र द्वारा हो तो वह जिला मजिस्ट्रेट से अपेक्षा करेगा कि वह निर्वाचन

के निमित्त प्रेक्षक के रूप में कार्य करने के लिये किसी व्यक्ति को नियुक्त और समिति को यह निर्देश देगा कि वह प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का और तत्पश्चात् सभापति तथा उप सभापति का निर्वाचन गुप्त मतपत्र द्वारा करें।

(ग) जब निबन्धक उपविधि (ख) के अधीन निर्देश दे तब बैठक में आवश्यक शलाका-पत्र गिन लिये जायेंगे जिन पर निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम होंगे और बैठक का सभापति 'प्रेक्षिक' की उपस्थिति में गुप्त मत-पत्र द्वारा मतदान करायेगा।

(घ) यदि निर्वाचन गुप्त मत-पत्र द्वारा हो, तो नियम ४२३, ४२४, ४२५, ४२६ और ४२८ के उपबन्ध यथोचित परिवर्तनों और इस परिष्कार के साथ लागू होंगे कि नियम ४२६ और ४२८ के शब्द 'पीठासीन अधिकारी' का इस मामले में अभिप्रेत बैठक के सभापति से होगा और निर्वाचन की कार्यवाही पर पूर्ववर्ती उपखंड में अभिदिष्ट प्रेक्षक भी हस्ताक्षर करेगा।

(ङ) बराबर मत की दशा में मामले का निर्णय पर्चा डाल कर किया जायगा।

६५—नियम ४२५, ४२६ तथा ४२८ में "पीठासीन" अधिकारी के निर्दिष्ट कार्य, बैठक के सभापति द्वारा किये जायेंगे।

समिति का समापन तथा विघटन

६६—(१) यदि धारा ६५ के अधीन जांच हो जाने, अथवा धारा ६६ के अधीन निरीक्षण कर लिये जाने के पश्चात् अथवा समिति के कम से कम तीन-चौथाई सदस्यों द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र के प्राप्त होने पर, निबन्धक की यह राय हो कि समिति का समापन हो जाना चाहिये, तो वह उसके समापित कर दिये जाने का आदेश दे सकता है।

(२) निबन्धक स्वतः तथा नियमों में निर्दिष्ट रीति से नोटिस देने के पश्चात् निम्नलिखित दशाओं में समिति की समापित कर देने का आदेश दे सकता है:—

(क) यदि समिति का निबन्धन कपट या भूल से प्राप्त किया गया हो, अथवा

(ख) यदि साधारण सदस्यों की संख्या उस न्यूनतम संख्या से भी कम हो गयी हो, जो धारा ६ द्वारा ऐसी समिति के निबन्धन के लिये व्यवस्थित है, अथवा

(ग) यदि समिति से समुचित समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ न किया हो, अथवा कार्य करना बन्द कर दिया हो, अथवा

(घ) यदि समिति अपना उद्देश्य पूरा न कर रही हो या धारा ७ की उपधारा (१) के खंड (घ) की अपेक्षाओं की पूर्ति न कर रही हो।

प्रपत्र 'अ'

घोषणा-पत्र

(नियम ४८ के अधीन)

..............सहकारी समिति लि०......................,में सदस्य बनने के अपने आवेदन-पत्र के संदर्भ में एतद्द्वारा मैं घोषित करता हूं कि मैंने समिति की वर्तमान उपविधियों तथा समिति के अन्य विधियों का अध्ययन कर लिया है। समिति की वर्तमान उपविधियों तथा अन्य विनियमों को मुझे पढ़कर सुना तथा समझा दिया गया है, और मैं उनसे सहमत हूं तथा उन्हें और मेरी सदस्यता की अवधि में समय-समय पर उनमें जो परिवर्तन तथा परिवर्धन होंगे, मुझे मान्य होंगे तथा मैं उनके परिपालन के लिये बाध्य हूंगा।

दिनांक............सन् १९.......

हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा

साक्षी :—

१— (१) हस्ताक्षर...........
(२) पूरा नाम...........
(३) पिता/पति का नाम........
(४) पूरा पता...........

२— (१) हस्ताक्षर..........
(२) पूरा नाम...........
(३) पिता/पति का नाम........
(४) पूरा पता...........

प्रपत्र 'ड'

घोषणा-पत्र

(नियम ४० के अधीन)

हम अधोहस्ताक्षरकर्ता जिन्होंने स्वर्गीय श्री................ पुत्र..............निवासी..................द्वारा धारित ....सहकारी समिति लि०................ के अंश/अंशों को संयुक्त रूप से उत्तराधिकार में प्राप्त किया है, एतद्द्वारा संयुक्त तथा व्यक्तिगत/ रूप से श्री,............................ पुत्र..................निवासी.................की जो कि उपरोक्त अंश/अंशों के संयुक्त रूप से उत्तराधिकारी है, अपना प्रतिनिधि घोषित करते हैं तथा उनको नियम ४० के स्पष्टीकरण (२) के अधीन रहते हुये, उपरोक्त समिति के कार्यों में मतदान देन का अधिकार प्रदान करते हैं।

दिनांक................सन् १९.....................

हस्ताक्षर निशानी अंगूठा

(१) ....

(२)..................

साक्षी:—

(१)

१—हस्ताक्षर............

२—पूरा नाम............

३—पिता/पति का नाम.........

४—पूरा पता............

(२)

१—हस्ताक्षर............

२—पूरा नाम............

३—पिता/पति का नाम.........

४—पूरा पता............

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० व सहकारी—१९७५-२४१९--१,००० (हिं०)